

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 03/11/2023

क्रमांक रीडर/2023/ 4996

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 बांकसिंह पुत्र
लाभूसिंह जाति
राजपूत निवासी
नागणेशान ढूंढा
तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 पेमाराम 2 मूलाराम 3 मोतीसिंह पिसरान लाधूराम जाति जाट
निवासी कुड़ला 4 चन्दनसिंह पुत्र जीवराजसिंह 5 छगनसिंह पुत्र
राजूसिंह 6 दौलतसिंह पुत्र जीवराजसिंह 7 भाखरसिंह पुत्र राजूसिंह
8 कंवरों पत्नी राजूसिंह 9 रेवतसिंह पुत्र जीवराजसिंह 10 रायसिंह
पुत्र राजूसिंह 11 शैतानसिंह 12 सबलसिंह पिसरान जीवराजसिंह
जाति राजपूत 13 चंदनाराम 14 ताराराम 15 वीराराम पिसरान
पताराम 16 राजूराम पुत्र हेमाराम 17 जीयाराम 18 भारूराम
पिसरान कलाराम जाति सुथार 19 खुमानसिंह पुत्र नगसिंह 20
तेजपालसिंह पुत्र कमलसिंह नाबालिग जरिये कुदरती माता
मोरुकंवर पत्नी कमलसिंह 21 भगवानसिंह पुत्र नगसिंह 22
महेन्द्रसिंह पुत्र कमलसिंह नाबालिग जरिये कुदरती माता मोरुकंवर
पत्नी कमलसिंह 23 मोरुकंवर पत्नी कमलसिंह 24 रेवन्तसिंह पुत्र
नगसिंह 25 शैतानसिंह पुत्र कमलसिंह नाबालिग जरिये कुदरती
माता मोरुकंवर पत्नी कमलसिंह 26 सांवलसिंह पुत्र नगसिंह जाति
राजपूत निवासी नागणेशियान ढूंढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर 27 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 186/2023

दिनांक- 12/10/2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नागणेशियान ढूंढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 916/607 रकबा 10.9508 हैक्टेयर भूमि व मौजा हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 639/116 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 4987-4990

दिनांक- 03/11/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बांकसिंह पुत्र लाभूसिंह जाति राजपूत निवासी नागणेशान ढूंढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पेमाराम पुत्र लाधूराम वगैराह जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर